जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

# राष्ट्रदूत

epaper.rashtradoot.com

कोटा

Rashtradoot

फोनः- 2386031, 2386032 फैक्सः- 0744-2386033 वर्षः 50 संख्याः 275 प्रभात कोटा, शनिवार 19 जुलाई, 2025 कोटा/24/2012-14 पृष्ठ 6 मूल्य 2.50 रु.

## छत्तीसगढ़ के पूर्व मु.मंत्री भूपेश बघेल के पुत्र को ईडी ने गिरफ्तार क्यों किया?

### क्या गिरफ्तारी का कारण पुत्र की पंजाब के प्रभारी के रूप में नियुक्ति तो नहीं?

-रेणु मित्तल-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 18 जुलाई। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे को आज सुबह रायपुर स्थित उनके घर से एनफोर्समैंट डायरैक्टोरेट (ईडी) ने शराब घोटाले में कथित संलिप्तता के चलते हिरासत में लिया है।

सूत्रों का कहना है कि यह तो बस शुरुआत है। भूपेश बघेल के करीबी सहयोगी विनोद वर्मा अगला निशाना हैं। उसके बाद बारी खुद भूपेश बघेल की हो सकती है।

बघेल और उनके परिवार की शराब घोटाले में भूमिका की जांच काफी समय से सुर्खियों में है, लेकिन अब जाकर कार्रवाई क्यों हो रही है? यही असली सवाल है।

बघेल के बेटे इस समय पंजाब कांग्रेस के प्रभारी और एआईसीसी महासचिव हैं।

उच्चस्तरीय सूत्रों का कहना है कि उन्हें पंजाब का प्रभारी बनवाने में भाजपा

- बघेल पुत्र पिछले छः महीने की तरह कम से कम अगले छः महीने ईडी की रेड से संबंधित मुकदमों में व्यस्त रहेंगे तथा प्रभारी होने के बावजूद, पंजाब की चुनाव की तैयारी व उम्मीदवार के चयन की प्रक्रिया में कुछ खास नहीं कर पायेंगे और कांग्रेस के टिकट के बारे में निर्णय भाजपा लेगी।
- ऐसा होना कोई अनहोनी बात नहीं, कई और राज्यों में भी कांग्रेस के प्रभारी ईडी की कार्यवाही में इतने फंसा दिये जाते हैं कि टिकटार्थियों का चयन परोक्ष रूप से भाजपा के हाथ में चला जाता है।
- पंजाब के मामले में स्थिति इससे भी ज्यादा संगीन व सुनियोजित इसलिए लगती है, क्योंकि बघेल पुत्र के प्रभारी के रूप में चयन में के.सी. वेणुगोपाल की निर्णायक भूमिका रही थी।
- राहुल गांधी ने कांग्रेस में भाजपा के ''स्लीपर सैल'' होने की बात कही थी। पर, विचारणीय विषय तो यह है कि राहुल की नाक के नीचे उनके नवरत्नों में कितने लोग भाजपा के ''स्लीपर सैल'' हैं।

नेतृत्व की सक्रिय भूमिका थी।

समझा जाता है कि बघेल को पंजाब का प्रभारी बनाने के पीछे के. सी. वेणुगोपाल का हाथ था।

स्थिति बहुत ही ज्यादा दिलचस्प है।

पिछले 6 महीनों से भूपेश बघेल, ईडी की पूछताछ, बेटे की परेशानियों, अपने करीबी स्टाफ पर जांच और खुद के कानूनी जोखिमों में उलझे रहे हैं।

एक वरिष्ठ नेता, जो पंजाब के हालात से पूरी तरह वाकिफ हैं, का कहना है कि यह स्थिति अगले 6 महीनों तक बनी रहेगी।

पंजाब कांग्रेस में गुटबाजी चरम पर है, और पार्टी के सांसदों को इस बात की गंभीर चिंता है कि वे अगला लोकसभा चुनाव जीत भी पाएंगे या नहीं।

बघेल का प्रदर्शन शून्य रहा है, और निकट भविष्य में कोई खास बदलाव की उम्मीद भी नहीं है।

ऐसी आशंका जताई जा रही है कि जैसे-जैसे पंजाब चुनाव नजदीक आएंगे,

( शेष अंतिम पृष्ठ पर )

## छात्रा की उत्तर पुस्तिका में छेड़छाड़ पर सीबीएसई से जवाब माँगा

जयपुर, 18 जुलाई। राजस्थान हाईकोर्ट ने कक्षा 12 के वाणिज्य वर्ग की एक छात्रा के एक विषय की उत्तर पुस्तिका से छेड़छाड़ करने के मामले में केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, दिल्ली और उसके अजमेर स्थित क्षेत्रीय कार्यालय को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। जस्टिस अनूप कुमार ढंड की एकलपीठ ने ये आदेश इफरा शेख की ओर से दायर याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए। अदालत ने बोर्ड को पाबंद किया है कि वह संबंधित उत्तर पुस्तिका से जुड़ा

- छात्रा के, अकाउन्टैंसी विषय में पुनर्मूल्यांकन में सामने आया कि उत्तर पुस्तिका के अंदर के पेजों पर किसी अन्य की लिखावट है।

रिकॉर्ड नष्ट न करे और उसे सुरक्षित रखा जाए।

याचिका में अधिवक्ता तनवीर अहमद ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता को अकाउंटेंसी विषय में बोर्ड ने सिर्फ 26 अंक ही दिए हैं, जबकि अन्य विषयों में उसके बेहतरीन अंक आए हैं। इस पर उसने इस विषय का पुनर्मूल्यांकन कराया। पुनर्मूल्यांकन के बाद प्राप्त उत्तर पुस्तिका में सामने आया कि उत्तर पुस्तिका के केवल पहले पेज की लिखावट ही उसकी थी। वहीं, भीतर

( शेष अंतिम पृष्ठ पर )

## क्या एक अमेरिकी नागरिक की नागरिकता खत्म की जा सकती है?

### यह विवाद अब न्यायालय तक पहुँच गया है, क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप एलन मस्क, ज़ोहरान ममदानी व रोज़ी ओ'डॉनेल को उनकी नागरिकता रद्द करके उन्हें उनके पुराने वतन भेजने की धमकी सार्वजनिक रूप से देने लग गये हैं

-अंजन रॉय-
-अमेरिका में राष्ट्रदूत के प्रतिनिधि-

वॉशिंगटन, 18 जुलाई। संयुक्त राज्य अमेरिका में ''नागरिकता समाप्ति'' (डीनैचुरलाइज़ेशन) पर एक नई बहस आकार ले रही है। यह बहस इस मुद्दे के इर्द-गिर्द घूम रही है कि क्या किसी अमेरिकी को उसकी नागरिकता से वंचित किया जा सकता है।

इसमें, अमेरिका में जन्मे देश के स्वाभाविक नागरिक की नागरिकता समाप्त करने की बात भी शामिल है। रोज़ी ओ'डॉनेल, जिन पर अब नागरिकता समाप्त होने का खतरा मंडरा रहा है, एक प्रसिद्ध हास्य कलाकार हैं, जिन्होंने ट्रंप की तीखी आलोचना की थी।

डॉनल्ड ट्रंप ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान संकेत दिया कि वे एलन मस्क, ज़ोहरान ममदानी और रोज़ी ओ'डॉनेल को देश से निष्कासित करने पर विचार कर सकते हैं।

ममदानी, जो न्यूयॉर्क के मेयर बनने की दौड़ में हैं, के ऊपर कम्युनिस्ट होने का आरोप लगाया गया है।

- एलन मस्क, कुछ समय पूर्व तक ट्रंप के घनिष्ठ मित्रों की सूची में प्रमुखता से शामिल थे, पर, जब से उन्होंने ''बिग व ब्यूटिफुल'' विधेयक का विरोध किया, ट्रंप ने उनको अमेरिका से बाहर उनकी जन्म स्थली वापस भेजने की इच्छा जाहिर की है।
- ट्रंप रोज़ी ओ'डॉनेल व न्यूयॉर्क का मेयर बनने की महत्वाकांक्षा रखने वाले ज़ोहरान ममदानी को भी उनकी मातृभूमि भेजना चाहते हैं, इन दोनों पर आरोप लगाया गया है कि अमेरिका की नागरिकता प्राप्त करने के लिए उन्होंने जो दस्तावेज़ दिये थे, वे झूठे थे।
- इस मुद्दे पर, कानूनी राय यह है कि जब तक उन पर यह आरोप न्यायालय में साबित नहीं होता, तब तक उन्हें उनकी नागरिकता से वंचित नहीं रखा जा सकता है। रोज़ी और ज़ोहरान दो प्रभावशाली व्यक्ति हैं। रोज़ी जानी-मानी कॉमेडियन हैं और ट्रंप पर व्यंग्य करने के लिए जानी जाती हैं, दूसरे हैं ज़ोहरान, जो न्यूयॉर्क के मेयर बन सकते हैं।

( शेष अंतिम पृष्ठ पर )

## ईडी ने छत्तीसगढ़ के पूर्व मु.मंत्री बघेल के पुत्र को ''दारू काण्ड'' के तहत गिरफ्तार किया

### चैतन्य बघेल, अपने पिता पूर्व मु.मंत्री के साथ रहते हैं तथा इस बात से काफी क्रुद्ध थे कि उनके जन्म दिवस पर ईडी ने उन्हें यह सौगात दी, क्योंक गत वर्ष भी पूर्व मु.मंत्री, उनके पिता के यहाँ भी उनके जन्म दिन पर ईडी ने ''रेड'' की थी

-डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 18 जुलाई। लगातार सुर्खियों में बने हुये एनफोसमैंट डायरैक्टोरेट (ईडी) ने आज छत्तीसगढ़ के पूर्व कांग्रेस मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को दुर्ग जिले के भिलाई कस्बे में स्थित उनके आवास से गिरफ्तार कर लिया।

चैतन्य को मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम (प्रीवेन्शन ऑफ मनी लॉन्डरिंग एक्ट- पीएमएलए) के तहत हिरासत में लिया गया। यह कार्रवाई उनके निवास पर की गई ताज़ा छापेमारी के बाद हुई। चैतन्य अपने पिता भूपेश बघेल के साथ इस घर में रहते हैं।

इससे पहले इसी सप्ताह, ईडी ने कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था, जिसमें उन्हें अचल संपत्तियों से जुड़े मामलों में आरोपी बताया गया है।

- चैतन्य बघेल ने न्यायालय परिसर में पत्रकारों से बात करते हुए यह भी कहा कि उद्योगपति अडानी, माइनिंग करना चाहते हैं तथा इसके लिए व जंगल काटना चाहते हैं, तथा कांग्रेस पार्टी उनकी इस नाजायज़ गतिविधि में कानूनी रोड़े अटकाती है तथा अब ईडी की रेड उनके घर पर इस घटनाक्रम के संदर्भ में है।

कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने कहा, ''हम न डरेंगे और न झुकेंगे। भूपेश बघेल डरेगा नहीं। हम सच्चाई की लड़ाई लड़ेंगे।''

उन्होंने अपने भिलाई स्थित आवास से बाहर पत्रकारों से कहा, ''एक तरफ बिहार में मतदाताओं के नाम चुनाव आयोग की मदद से मतदाता सूची से हटाए जा रहे हैं...लोकतंत्र को कमजोर किया जा रहा है, और दूसरी तरफ ईडी, आईटी, सीबीआई, डीआरआई जैसी एजेंसियों का दुरुपयोग विपक्षी नेताओं को दबाने के लिए किया जा रहा है। लेकिन अब देश की जनता सब समझ चुकी है और पूरी तरह सचेत है।''

बघेल ने कहा, ''ईडी पहले भी मेरे घर आई थी और 33 लाख रु. बरामद

( शेष अंतिम पृष्ठ पर )

## पेपर लीक में कटारा के चालक का पुत्र गिरफ्तार

जयपुर, 18 जुलाई। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) की टीम ने एसआई भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में कार्रवाई करते हुए, पूर्व आरपीएससी सदस्य बाबूलाल कटारा के तत्कालीन चालक नादान सिंह के बेटे अजय प्रताप सिंह को गिरफ्तार किया है।

अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (एडीजी) एसओजी वीके सिंह ने बताया कि एसआई भर्ती परीक्षा 2021 की जांच कर रही टीम को कुछ इनपुट मिले, जिनके आधार पर टीम ने जांच करना शुरू किया। जांच में तथ्य सही मिलने पर एसओजी की टीम ने बाबूलाल कटारा के तत्कालीन चालक नादान सिंह के पुत्र अजय प्रताप सिंह

- एसओजी ने जाँच में सही तथ्य मिलने पर आरपीएससी सदस्य बाबूलाल कटारा के चालक नादान सिंह के पुत्र अजय प्रताप सिंह राठौड़ को गिरफ्तार किया।

( शेष अंतिम पृष्ठ पर )

## प्र.मंत्री मोदी का बिहार में लालू के ''जंगल राज'' के मुद्दे पर आक्रामक प्रचार अभियान

### इसी बीच सुप्रीम कोर्ट से लालू को बड़ा झटका लगा है, इससे भी एनडीए गठबंधन की हिम्मत बढ़ी है

-श्रीनंद झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 18 जुलाई। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और एनडीए के अन्य नेताओं द्वारा बिहार के महागठबंधन के जंगलराज के खिलाफ आक्रामक प्रचार अभियान छेड़े जाने के बीच, राष्ट्रीय जनता दल (राजद) सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को एक झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने ''लैंड फॉर जॉब्स'' मामले में ट्रायल पर रोक लगाने के लिए दायर की गई उनकी याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया है।

न्यायमूर्ति एम. एम. सुंदरेश और न्यायमूर्ति एन. कोटिश्वर सिंह की पीठ ने आज इस प्रकरण की सुनवाई करते हुए कहा कि लालू यादव को अपनी मुख्य याचिका, जिसमें उन्होंने सीबीआई की चार्जशीट को रद्द करने की मांग की है, दिल्ली हाईकोर्ट में दलील के साथ प्रस्तुत करनी चाहिए, जहाँ यह मामला पहले से विचाराधीन है।

- सुप्रीम कोर्ट ने ''लैंड फॉर जॉब'' मामले में ट्रायल कार्यवाही पर रोक लगाने संबंधी लालू की याचिका को सुनने से मना कर दिया और कहा, वे दिल्ली हाई कोर्ट जाएं, जहाँ यह मामला विचाराधीन है, सुप्रीम कोर्ट ने लालू को व्यक्तिशः उपस्थिति से अवश्य छूट दी।
- प्रधानमंत्री मोदी ने मोतिहारी में एक सभा में लालू यादव के जंगल राज की याद दिलाई। प्र.मंत्री ने यात्रा के दौरान 7200 करोड़ रूपए की विकास योजनाओं का भी उद्घाटन किया।

हालाँकि, राहत की बात यह रही कि सर्वोच्च न्यायालय ने यह कह दिया कि, विशेष परिस्थितियों को देखते हुए, लालू यादव को ट्रायल कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने से छूट दी जा सकती है।

यह मामला सीबीआई ने मई, 2022 में दर्ज किया गया था, जिसमें आरोप है कि पश्चिम मध्य रेलवे में ग्रुप-डी की नियुक्तियाँ, लालू यादव के परिवार और नज़दीकी लोगों को जमीन देने के बदले में की गई थीं।

इस बीच, भाजपा ने एक बार फिर अपने पुराने प्रचार-अभियान को दोहराया है कि आरजेडी और कांग्रेस ने बिहार को लूटा और राज्य के विकास को रोक दिया।

आज मोतीहारी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज की पीढ़ी को यह समझना जरूरी है कि दो दशक पहले बिहार किस तरह गहरी निराशा में डूबा हुआ था। उन्होंने कहा, ''जो लोग सत्ता में थे, उनका ध्यान केवल इस बात पर था कि गरीबों के लिए आए पैसे को कैसे लूटा जाए। गरीबों के लिए पक्के मकान बनवाना असंभव था और लोग अपने घरों पर रंग-रोगन तक करवाने से डरते थे।''

प्रधानमंत्री ने 7200 करोड़ रूपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करते हुए कहा कि यूपीए और राजद सरकारों के दौरान, बिहार के लिये 10 वर्षों में मात्र 2 लाख करोड़ रूपए की योजनाएँ मंजूर हुईं, जबकि 2014 के बाद से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, देशभर में 4 करोड़ से अधिक मकान गरीबों के लिए बनाए गए हैं और इसके साथ ही, बिहार को भी सार्वजनिक कल्याण और विकास कार्यों के लिए पर्याप्त धनराशि दी गई है।

( शेष अंतिम पृष्ठ पर )

## आप पार्टी ने इंडिया गठबंधन छोड़ा

नई दिल्ली, 18 जुलाई। आम आदमी पार्टी (आप) ने शुक्रवार को 'इंडिया' गठबंधन से अपनी दूरी बनाते हुए कहा कि वह अब विपक्षी गठजोड़ का हिस्सा नहीं है और इसका नेतृत्व करने में कांग्रेस पार्टी की भूमिका पर सवाल उठाया। राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने देश में मौजूदा राजनीतिक स्थिति

- आप के नेता संजय सिंह ने यह घोषणा करते हुए कांग्रेस को इंडिया गठबंधन में दरार के लिए दोषी ठहराया।

पर चर्चा के लिए शनिवार शाम 'इंडिया' गठबंधन के घटक दलों के नेताओं की डिजिटल माध्यम से होने वाली बैठक से एक दिन पहले यह टिप्पणी की।

कांग्रेस की आलोचना करते हुए संजय सिंह ने विपक्षी गठबंधन का नेतृत्व करने में उसकी भूमिका पर सवाल उठाया। उन्होंने पूछा, यह बच्चों

( शेष अंतिम पृष्ठ पर )

## जस्टिस वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट की इन हाउस कमेटी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की

### जूडिशिएरी के इतिहास में यह अभूतपूर्व घटना है, एक सिटिंग जज ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दर्ज की है

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 18 जुलाई। राज्यसभा में मानसून सत्र के दौरान महाभियोग के ज़रिए हटाए जाने की संभावनाओं के बीच, इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश यशवंत वर्मा ने ''घर में नकदी'' मामले में इन-हाउस जांच रिपोर्ट को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है।

इस रिट याचिका में उन्होंने उस जाँच को चुनौती दी है, जिसमें दिल्ली में उनके सरकारी आवास से नकदी मिलने के बाद उन्हें दोषी ठहराया गया था, उस समय वे दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायाधीश थे।

साथ ही, उन्होंने भारत के तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना द्वारा राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को उनके खिलाफ महाभियोग चलाने की सिफारिश को भी चुनौती दी है।

यह एक अभूतपूर्व मामला है, जहाँ एक कार्यरत न्यायाधीश ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, ताकि उसके खिलाफ की गई जांच रिपोर्ट को रद्द किया जा सके। याचिका 17 जुलाई की दोपहर को दाखिल की गई थी। इसमें भारत संघ और सुप्रीम कोर्ट को प्रतिवादी बनाया गया है।

न्यायमूर्ति वर्मा का कहना है कि इन-हाउस जांच समिति ने उन्हें जवाब देने का उचित अवसर दिए बिना ही निष्कर्ष निकाल लिए। उन्होंने आरोप लगाया कि समिति पहले से तय सोच के साथ आगे बढ़ी। ठोस साक्ष्य के अभाव में सिर्फ अनुमान और पूर्वाग्रह के आधार पर प्रतिकूल निष्कर्ष निकाले गए, वह भी सबूत उलटकर।

- संभावना है कि जल्दी ही जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग की कार्यवाही शुरु की जा सकती है।
- जस्टिस वर्मा के सरकारी आवास पर आग लगने के बाद उसे बुझाने गए दमकल कर्मियों को भारी मात्रा में नकदी मिली थी, इसलिए उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने जाँच कमेटी गठित की थी, कमेटी ने जाँच में जस्टिस वर्मा को दोषी माना।
- जस्टिस वर्मा ने कमेटी की जाँच की वैधता को चुनौती दी और आरोप लगाया कि उन्हें अपना पक्ष रखने का मौका नहीं दिया गया।
- जाँच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट तत्कालीन सीजेआई संजीव खन्ना को दी थी। खन्ना ने महाभियोग की अनुशंसा के साथ रिपोर्ट राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भेज दी थी क्योंकि जस्टिस वर्मा ने पद त्याग करने की सीजेआई की सलाह नहीं मानी थी।
- कमेटी का कहना था कि सरकारी आवास में नकदी कहाँ से आई, यह बताना जस्टिस वर्मा की जिम्मेवारी है, पर, वे कोई स्पष्टीकरण नहीं दे पाए, पूछताछ में या तो उन्होंने सपाट इन्कार किया या फिर साजिश रचने का आरोप लगाया।

याचिका में कहा गया है कि ''समिति ने याचिकाकर्ता को अपनी निर्धारित कार्यप्रणाली की कोई जानकारी नहीं दी, उनसे एकत्र किए जाने वाले साक्ष्यों पर प्रतिक्रिया देने का कोई अवसर नहीं दिया, उनकी अनुपस्थिति में गवाहों से पूछताछ की और उपलब्ध होने के बावजूद, वीडियो रिकॉर्डिंग के स्थान पर केवल संक्षिप्त किए गए बयान उपलब्ध कराए। समिति ने केवल ''अभियोग लगाने योग्य'' सामग्री का चयनात्मक रूप से खुलासा किया, और सीसीटीवी फुटेज जैसे प्रासंगिक व याचिकाकर्ता को दोषमुक्त करने वाले साक्ष्यों की उपेक्षा की और उन्हें एकत्र

( शेष अंतिम पृष्ठ पर )

## अमेरिका ने ''द रैज़िस्टैंट फ्रंट'' को आतंकी संगठन घोषित किया

वाशिंगटन, 18 जुलाई। अमेरिका ने एक बड़ा कदम उठाते हुये, पाकिस्तान स्थित लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) आतंकवादी समूह की एक शाखा, द रेजिस्टेंस फ्रंट (टीआरएफ) को एक विदेशी आतंकवादी संगठन (एफटीओ) घोषित किया है। यह संगठन 22 अप्रैल को हुए भयावह पहलगाम आतंकवादी हमले के लिए ज़िम्मेदार है।

- लश्करे तैयबा से जुड़े इस आतंकी संगठन ने ही कथित रुप से 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले को अंजाम दिया था।

अमेरिकी विदेश मंत्री मार्क रुबियो ने एक बयान में कहा कि टीआरएफ को एक विदेशी आतंकवादी संगठन और एक विशेष रूप से नामित वैश्विक आतंकवादी

( शेष अंतिम पृष्ठ पर )